उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 282–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 23–10(2)–पें0एवंआर0 / 01(टीसी–1), दिनांक : 09 फरवरी, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 17 जनवरी, 2023 को सम्पन्न 188वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा कार्मिक अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त शासनादेश संख्या–10 / 2022 / 18 / 1 / 2008 / 47 / का–2 / 2022, दिनांक 04 अगस्त, 2022, जिसके द्वारा पदोन्नति के प्रक्रम पर राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मात्रा **03 प्रतिशत से बढ़ाकर 04 प्रतिशत** किये जाने सम्बन्धी प्राविधान निर्गत किये गये है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, की सेवाओं में यथावत् / सम्पूर्णता में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. तद्नुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में पदोन्नति के प्रक्रम पर दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मात्रा **03 प्रतिशत से बढ़ाकर 04 प्रतिशत** किये जाने सम्बन्धी उपरोक्त शासनादेश में प्राविधानित तत्सम्बन्धी प्राविधान / दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जा रहे हैं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 282–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 23 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ / केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–। / स्तर–।।), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(आनन्द श्रीवास्तव)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-10/2022/18/1/2008/47/का-2/2022

लखनऊ, दिनांक: 04 अगस्त, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

"उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित)" द्वारा सीधी भर्ती के प्रक्रम पर विकलांगों को राज्याधीन सेवाओं एवं पदों रिक्तियों का 03 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया था।

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की अनुमन्यता विषयक भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 एवं 26.04.2016 में उल्लिखित प्राविधानों एवं दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 तथा पार्श्वांकित शासनादेशों के माध्यम से कतिपय दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये है, जिसमें मुख्यतः विकलांगों हेतु आरक्षण की मात्रा, विकलागों की परिभाषा, आरक्षण के लिए दिव्यांगता की मात्रा, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, आरक्षण गणना रोस्टर, आयु सीमा में छूट आदि का प्राविधान किया गया था।

1.	शासनादेश संख्या-18/1/2008(II)-का-2-2008 दिनांक 03.02.2008
2.	शासनादेश संख्या-18/1/2008/ का-2/2013, दिनांक 24.06.2013
3.	शासनादेश संख्या-18/1/2008 /का-2/2014, दिनांक 17.04.2014
4.	शासनादेश संख्या-5/2016/18/1/2008टी.सी./ का-2, दिनांक 17.06.2016
5.	शासनादेश संख्या-7/18/1/2008/का-2/2015, दिनांक 28.07.2015

भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.04.2017 को प्रख्यापित निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुक्रम में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा "उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2018" दिनांक 01.09.2018 को प्रख्यापित किया गया है, जिसके अंतर्गत सीधी भर्ती के प्रक्रम पर दिव्यांगता की परिभाषा को परिभाषित करते हुए उनकी श्रेणी को 05 भागों में विभाजित कर पूर्व अनुमन्य आरक्षण को 03 प्रतिशत से बढ़ाकर 04 प्रतिशत कर दिया गया है।

निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की अनुमन्यता के सम्बन्ध में भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-36035/02/2017-Estt(Res), दिनांक 15.01.2018 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा उसके अनुक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित "उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2018" तथा भारत सरकार के उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 15.01.2018 द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देश के कारण कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03.02.2008 एवं पार्श्वांकित शासनादेशों में कतिपय प्राविधान वर्तमान में अप्रासांगिक हो गये हैं। अतः उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप एवं पार्श्वांकित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेशों में संशोधन करते हुए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर राज्याधीन सेवाओं और पदों पर दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2002/47/का-2/2022, दिनांक 18 अप्रैल, 2022 द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किए जा चुके है। दिव्यांगजनों को पदोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण प्रदान किए जाने के संबंध में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-36012/1/2020-स्था.(Res-II) दिनांक 17 मई, 2022 द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किए गए है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित " उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2018" एवं पदोन्नति में दिव्यांगजन के आरक्षण बढाकर 4 प्रतिशत किए जाने संबंधित शासनादेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2002/47/का-2/2022, दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03.02.2008 एवं पार्श्वांकित शासनादेशों में संशोधन करते हुए पदोन्नति के प्रक्रम पर राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मात्रा 03 प्रतिशत से बढाकर 04 प्रतिशत किये जाने हेतु निम्नानुसार प्राविधान किए जा रहे है:

2. <u>दिव्यांगों हेतु आरक्षण की मात्रा</u>

(I) समूह 'घ' से 'ग' समूह 'ग' से समूह 'ख' तथा समूह 'ख' से समूह 'क' के सबसे निचले पायदान के पदों पर जिसमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक न हो, 04 प्रतिशत रिक्तियॉ, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जाएगी जिसमें से एक-एक प्रतिशत रिक्तियॉ खण्ड-क, ख, ग के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए और एक प्रतिशत रिक्तियॉ खण्ड-घ एवं ड. के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए, उन दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गए पदों में आरक्षित होंगी अर्थात्:-

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि ;

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास ;

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता ;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता ;

(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति के पद पर नियुक्ति के समय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता की जांच/पुनर्जांच करायी जा सकती है।

3. <u>दिव्यांगों हेतु आरक्षण से छूट</u>

यदि कोई विभाग कार्य की प्रकृति के आधार पर किसी प्रतिष्ठान को दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान से अंशतः अथवा पूर्णतया मुक्त रखना आवश्यक समझे तो वह ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए दिव्यांग कल्याण विभाग के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी को संदर्भ प्रेषित कर सकता है। छूट प्रदान किये जाने के बारे में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा विचार किया जाएगा। मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा छूट प्रदान करने विषयक आदेश निर्गत किये जाएंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. केवल नि:शक्तता के आधार पर पदोन्नति से इंकार नहीं

(क) किसी भी व्यक्ति को मात्र उसकी नि:शक्तता के आधार पर पदोन्नति से मना नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कार्मिक सेवा में रहते हुए दिव्यांग हो जाता है तो न तो उसे सेवा से निकाला जाएगा और न ही उसके रैंक में कोई अवनति की जाएगी। यदि उक्त कार्मिक अपनी दिव्यांगता के कारण अपने धारित पद के दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है तो समान वेतनमान एवं सेवाओं के साथ किसी अन्य पद पर शिफ्ट (shift) किया जा सकता है। यदि कार्य की प्रकृति के आधार पर उक्त कार्मिक को किसी अन्य पद पर समायोजन किया जाना संभव न हो तो उसे एक अधिसंख्य पद पर तब तक रख जाएगा जब तक कि उसके लिए उपयुक्त पद उपलब्ध न हो जाए अथवा अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवा निवृत्त न हो जाए। यदि उक्त दिव्यांग व्यक्ति, जिसके लिए अधिसंख्य पद सृजित किया गया है, अगले उच्च वेतनमान में पदोन्नति के लिए अर्ह हो जाए तथा उसे किसी अन्य पद के सापेक्ष समायोजित किया जाना संभव न हो तो, जिस अधिसंख्य पद के सापेक्ष वह कार्यरत है को समर्पित करते हुए अगले उच्च स्तर का एक अधिसंख्य पद सृजित किया जाएगा।

(ख) यदि कोई कार्मिक सेवा में आने के पश्चात् दिव्यांग जो जाता है तो वह दिव्यांगजन हेतु प्रोन्नति में अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। किन्तु केवल ऐसे कार्मिक ही पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार होगे जो कम से कम 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक संगत विकलांगता से ग्रस्त हो।

(ग) अस्थाई दिव्यांगता के आधार पर दिव्यांगआरक्षण का कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

5. उपयुक्त नौकरियों/पदों की पहचान

दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टीसी0 दिनांक 30 जुलाई, 2021 के माध्यम से दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नौकरियों/पदों का चिन्हांकन कर लिया गया है। सभी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा दिव्यांगजन को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किए जाने हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना का उपयोग किया जाएगा।

6. एक, दो अथवा तीन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षण

यदि कोई पद दिव्यांगता की एक श्रेणी के लिए ही उपयुक्त चिन्हित किया गया हो तो उस पद में आरक्षण उस दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। ऐसे मामलों में **चार प्रतिशत** का आरक्षण कम नहीं किया जाएगा तथा उस पद में पूर्ण आरक्षण उस दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिया जायगा जिसके लिए वह चिन्हित किया गया हो। इसी तरह किसी पद के दिव्यांगता की दो या तीन श्रेणियों के लिए चिन्हित किये गये होने की स्थिति में जहाँ तक सम्भव हो, आरक्षण दिव्यांगता की उन दोनों या तीनों श्रेणियों (जैसी स्थिति हो) के व्यक्तियों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जाएगा, तथापि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिष्ठान में आरक्षण, विभिन्न पदों में इस तरह विभाजित किया जाय कि **दिव्यांगता की सभी श्रेणियों** के व्यक्तियों को यथा सम्भव समान प्रतिनिधित्व मिले।। आरक्षण प्रदान करने हेतु 25 प्वाइट के अन्तराल पर बनाए गए 100 प्वाइट के रोस्टर का प्रयोग किया जाएगा अर्थात दिव्यांग कार्मिक को उसके लिए निर्धारित प्वाइट्स पर ही आरक्षण प्रदान किया जाएगा न कि समूहबद्ध (Bunchmark) तरीके से।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. <u>अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति</u>

वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर पदोन्नति की स्थिति में यदि दिव्यांग व्यक्ति प्रोन्नति हेतु अन्यथा अर्ह है तथा पदोन्नत व्यक्तियों की अंतिम सूची में सम्मिलित है, तो उसे अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जाएगी अर्थात दिव्यांग व्यक्ति को, केवल इस आधार पर कि कोई रिक्ति दिव्यांगजन की श्रेणी के लिए चिन्हित नहीं है, पदोन्नति से मना नहीं किया जा सकता है।

मानदण्डों में बिना किसी शिथिलीकरण के, अपनी ही योग्यता के आधार पर, अन्य उम्मीदवारों के साथ चुने गये दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति, रिक्तियों के आरक्षित भाग में समायोजित नहीं किये जाएंगे। आरक्षित रिक्तियॉ, दिव्यांगता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों में से अलग से भरी जाएंगी जिनमें ऐसे शारीरिक रूप से वे दिव्यांग उम्मीदवार सम्मिलित होंगें जो योग्यता सूची में अन्तिम उम्मीदवार से योग्यता में नीचे होंगे, परन्तु नियुक्ति हेतु अन्यथा, यदि आवश्यक हो तो शिथिलीकृत मानदण्डों से उपयुक्त पाये जायेंगे।

8. <u>उपयुक्तता मानदण्डों में छूट</u>

यदि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदण्डों के आधार पर इस श्रेणी के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं (एलडीसीई/डीई आदि द्वारा पदोन्नति के मायने में), तो इनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदण्डों में ढील देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जाय बशर्ते कि वे ऐसे पद अथवा पदों के लिए अनुपयुक्त न हों। किन्तु दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित मानदण्डों में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निर्धारित सामान्य मानदण्डों में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु चाहे वे सामान्य/**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग** या **<u>आर्थिक रूप</u> से कमजोर वर्ग** से सम्बन्धित हों, एक समान शिथिलता प्रदान की जायेगी, श्रेणीवार पृथक-पृथक शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी।

9. <u>आरक्षण हेतु रिक्तियों की संख्या की गणना</u>

जिन संवर्गों में दिव्यांगजन को पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू है वहॉ समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना, अधिष्ठान में समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' पदों में होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी, यद्यपि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की पदोन्नति, केवल उनके लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों पर ही की जायेगी।

10. <u>आरक्षण लागू करना-रोस्टरों का रख-रखाव</u>

(क) दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण निर्धारित करने/लागू करने के लिए सभी अधिष्ठान सीधी भर्ती की भांति, संलग्नक-**I** में दिये गये प्रपत्र के अनुसार समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के अन्तर्गत प्रत्येक संवर्ग के लिए पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के लिए पृथक-पृथक रोस्टर रजिस्टर बनाये जायेंगे।

(ख) प्रत्येक रजिस्टर में 100 बिन्दुओं के चक्र होंगे और 100 बिन्दुओं का प्रत्येक चक्र चार खण्डों में विभाजित होगा जिसमें निम्नलिखित बिन्दु होंगे:-

प्रथम खण्ड- बिन्दु संख्या-1 से 25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वितीय खण्ड- बिन्दु संख्या-26 से 50
तृतीय खण्ड- बिन्दु संख्या-51 से 75
चतुर्थ खण्ड- बिन्दु संख्या-76 से 100

(ग) रोस्टर के 1, 26, 51 और 76 संख्या के बिन्दु दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों लिए' आरक्षित चिन्हित किये जाएंगे जिनमें दिव्यांगता की चार श्रेणियों ('क', 'ख', 'ग' एवं 'घ/ङ.') के लिए एक-एक बिन्दु होगा। नियुक्ति प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि क्रमांक -1, 26, 51, तथा 76 पर पड़ने वाली रिक्तियॉ दिव्यांगों के सम्बन्धित श्रेणी के लिए चिन्हित हों, यद्यपि चयनित अभ्यर्थियों का रोस्टर रजिस्टर में स्थान निश्चित करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगा। अर्थात किस श्रेणी के दिव्यांग की नियुक्ति पहले होगी इसका निर्णय विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

(घ) इस बात पर विचार किए बिना कि कौन सी रिक्तियां दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है, सम्पूर्ण रिक्तयों की सूचना/विवरण संगत रोस्टर में अंकित की जाएगी। यदि बिन्दु संख्या-1 पर आने वाला पद, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं पहचाना गया है अथवा नियुक्ति प्राधिकारी इसे दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरना वांछनीय नहीं समझता है अथवा इसे किसी भी कारण से जो लिखित रूप से अंकित किया जाएगा। दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरा जाना सम्भव नहीं है तो बिन्दु संख्या-2 से 25 तक किसी भी बिन्दु पर आने वाली किसी रिक्ति को दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए आरक्षित माना जाएगा और इसे तद्नुसार भरा जाएगा। इसी प्रकार बिन्दु संख्या-26 से 50 तक अथवा 51 से 75 तक अथवा 76 से 100 तक, किसी भी बिन्दु पर आने वाली रिक्ति को दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से भरा जाएगा। क्रमांक -1, 26, 51, एवं 76 को आरक्षित रखने का उद्देश्य उस श्रेणी के प्रथम उपयुक्त रिक्ति को उस श्रेणी में दिव्यांग अभ्यर्थी से भरा जाना है जिसके लिए उक्त पद चिन्हित किय गया हो।

(ङ.) इस बात की सम्भावना है कि बिन्दु संख्या-1 से 25 तक कोई भी रिक्ति, दिव्यांगता से ग्रस्त किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त न हो, तो उस स्थिति में बिन्दु संख्या-26 से 50 तक 02 रिक्तियॉ, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जाएंगी। यदि बिन्दु संख्या 26 से 50 तक की रिक्तियाँ, किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं हो तो बिन्दु 51 से 75 तक के तीसरे खण्ड में से तीन रिक्तियाँ आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जाएंगी। इसका अभिप्राय यह है कि यदि रोस्टर के किसी खण्ड विशेष में कोई रिक्ति आरक्षित नहीं की जा सकती हो तो वह रिक्ति रोस्टर के अगले खण्ड में ले जायी जायेगी।

(च) रोस्टर के सभी 100 बिन्दु पूरे होने के पश्चात् 100 बिन्दुओं का एक नया चक्र शुरू होगा।

(छ) यदि एक वर्ष में रिक्तियों की संख्या केवल इतनी है कि उसमें केवल एक खण्ड (25 रिक्तियॉ दिव्यांगजन के लिए यदि कोई रिक्ति आरक्षित हो, सहित) अथवा दो खण्ड (50 रिक्तियॉ दिव्यांगजन के लिए यदि कोई रिक्ति आरक्षित हो, सहित) ही आच्छादित हैं तो दिव्यांग श्रेणियों के व्यक्तियों का समायोजन रोस्टर बिन्दु के अनुसार होना चाहिए। परन्तु यदि उक्त रिक्ति किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए चिन्हित नहीं है, तो इसका विवेकाधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगा कि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की किस श्रेणी को पहले समायोजित किया जाय तथा इस बात का निर्णय पद के स्वरूप,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संबंधित ग्रेड/पद इत्यादि में दिव्यांगता से ग्रस्त विशिष्ट श्रेणी के प्रतिनिधित्व के स्तर के आधार पर किया जायेगा।

11. **मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र**

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्राविधानों का सही सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के क्रम में मांगकर्ता प्राधिकारी, पदोन्नति करने वाले एजेन्सी/डीपीसी आदि, के माध्यम से अथवा अन्य रीति से पदों को भरने हेतु मांग पत्र भेजते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे:-

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह मांग-पत्र भेजते समय उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग,स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) तथा दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है। इस मांग पत्र में सूचित उपर्युक्त रिक्तियाँ 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर के चक्र संख्या........... के बिन्दु संख्या........... पर आती हैं और उनमें से .... रिक्तियाँ दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।

दिव्यांगजन आरक्षण हेतु निर्धारित रिक्ति के सापेक्ष मौलिक नियुक्ति प्रदान करने के समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी दिव्यांगजन आरक्षण का लाभ पाने का पात्र है।

12. **रिक्तियों हेतु नोटिस**

किसी निर्धारित/चिहिन्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु दिव्यांग व्यक्तियों को उचित अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करने के क्रम में, रोजगार केन्द्रों, बोर्डों, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, डी0पी0सी0 आदि को नोटिस भेजते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जायेगी:-

(I) दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्ति को स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(II) ऐसे पदों में रिक्तियों के मामलों में जिन्हें दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिहिन्त किया गया हो, चाहें रिक्तियाँ आरक्षित हों या न हों, यह उल्लेख किया जाय कि सम्बद्ध पद सम्बद्ध दिव्यांगता की श्रेणियों यथा (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि; (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास; (ग) प्रमस्तिष्कीय अंग धात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता; (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता; (ड.) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता के लिए उपयुक्त पहचाना गया है। पद के कार्यात्मक वर्गीकरण तथा ऐसे पद के संबंध में कार्य निष्पादन हेतु शारीरिक अपेक्षाओं को भी स्पष्टतः दर्शाया जाय।

(III) दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किये गये पदों की रिक्तियों के मामले में यह दर्शाया जाय कि संबंधित पद (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि; (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास; (ग) प्रमस्तिष्कीय अंग धात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता; (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता; (ड.) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों जैसा भी मामला हो के लिए चिन्हित किया गया है और उपयुक्त श्रेणी/श्रेणियों से संबंधित दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति जिनके लिए पद उपयुक्त पहचाना गया है को एलडीसीईई (Limited Departmental Competitive Examination) से भरे जाने हेतु आवेदन करने की अनुमति है भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो। ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जाएगा।

(IV) दिव्यांगजन के लिए निर्धारित आरक्षण के लाभ हेतु केवल विधिक रूप से मान्य बेंचमार्क दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अस्थाई रूप से दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

13. <u>पदोन्नति के मामले में आरक्षण की आपसी अदला-बदली और अग्रनीत किया जाना</u>

(क) आरक्षित रिक्तियों को योग्यता के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरते समय सामान्य विचारण के क्षेत्र में आने वाले विकलांग उम्मीदवारों की पदोननति पर विचार किया जाएगा। जहाँ सामान्य विचारण क्षेत्र में विकलांगों की उपयुक्त श्रेणी के विकलांग उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही होते, वहां विचारण क्षेत्र रिकितयों की संख्या का पॉच गुना बढा दिया जाएगा और बढाये गये विचारण क्षेत्र में आने वाले विकलांग उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। यदि बढाये गये विचारण क्षेत्र में भी उम्मीदवार उपलब्ध नही हो तो यदि सम्भव हो तो आरक्षण की अदला-बदली की जा सकती है, ताकि पद को विकलांगता की अन्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जा सके। यदि आरक्षण द्वारा पद को भरा जाना सम्भव नहीं हो तो पद को विकलांग व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा जाए तथा आरक्षण को अगले तीन भर्ती वर्षो तक अग्रनीत कर दिया जाय जिसके बाद यह समाप्त हो जाएगा।

(ख) अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में विकलांगता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारो को आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति देने पर विचार किया जाएगा। यदि विकलांगता की उपयुक्त श्रेणी का कोई पात्र उममीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो संबंधित श्रेणी के दिव्यांगता से ग्रस्त अतिरिक्त उम्मीदवारों को आवश्यक सीमा तक वरिष्ठता सूची में नीचे जाने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते वे पात्र हो, और यह पद उनके लिए चिन्हित किया गया हो। यदि विस्तारिरत पात्रता क्षेत्र में भी विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो उक्त रिक्ति भरी नहीं जाएगी तथा आगामी वर्ष हेतु अग्रनीत कर दी जाएगी। यदि आगामी चयन वर्ष में भी चिन्हित श्रेणी का दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उसे अन्य श्रेणी के लिए चिन्हित दिव्यांगता से बदला जा सकता है। यदि इसके बावजूद भी दिव्यांग आरक्षण से रिक्ति भरा जाना सम्भव न हो तो रिक्ति को आगामी 02 वर्षो तक के लिए अग्रनीत कर दिया जाएगा, जो उसके बाद समाप्त हो जाएगी।

(ग) यदि सभी रिक्तियों के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पुराने अग्रनीत किए गए पदों को पहले भरा जाएगा, और वर्तमान रिक्तियों को यदि भरा नहीं गया है, तो अग्रनीत कर दिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14. <u>दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होरिजेन्टल आरक्षण</u>

पिछड़े वर्गों के नागरिकों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों) के लिए आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण कहा जाता है और दिव्यांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को होरिजेंटल आरक्षण कहा जाता है। होरिजेंटल आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण आपस में मिल जाते है। (जिसे इंटरलाकिंग आरक्षण कहा जाता है) और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटे में से चुने गये व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए बनाये गये रोस्टर में उनकी श्रेणी के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणी की उपयुक्त श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरणतः यदि किसी दिये गये वर्ष में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दो रिक्तियाँ आरक्षित हैं और नियुक्त किये गये दो दिव्यांग व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का है और दूसरा सामान्य श्रेणी का है तो अनुसूचित जाति के दिव्यांग उम्मीदवार को आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जाति के बिन्दु पर समायोजित किया जाएगा और सामान्य उम्मीदवार को संगत आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित बिन्दु पर रखा जाएगा। यदि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित बिन्दु पर कोई भी रिक्ति नहीं होती है तो अनुसूचित जाति का दिव्यांग उम्मीदवार, भविष्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित अगली उपलब्ध रिक्ति पर समायोजित किया जाएगा।

चूंकि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बनाये गये आरक्षण रोस्टर में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्ग/सामान्य श्रेणी में उपयुक्ततः रखा जाना होता है अतः दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे के अन्तर्गत पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना अपेक्षित होगा कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग अथवा सामान्य श्रेणी में से किस श्रेणी से सम्बद्ध हैं।

15. <u>कार्यालय-ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के अभ्यावेदनों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट</u>

प्रत्येक विभाग द्वारा दिव्यांगजन की प्रोन्नति से संबंधित आंकडे सीधी भर्ती के भांति ही तैयार कर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को उपलब्ध कराये जाएगें।

16. <u>दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नोडल अधिकारीः</u>

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के मामलों को देखने के लिए विभाग में नियुक्त नोडल अधिकारी दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए भी नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे और इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे।

17. <u>दिव्यांगजन की शिकायतों के निवारण हेतु व्यवस्था:</u>

i. प्रत्येक विभाग द्वारा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) की नियुक्ति की जायेगी।
ii. शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) द्वारा दिव्यांगजन की शिकायतों का एक रिजस्टर रखा जायेगा जिनमें निम्नलिखित विवरण होंगे:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(क) शिकायत की तिथि

(ख) शिकायतकर्ता का नाम

(ग) विभाग/अधिकारी का नाम जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है

(घ) शिकायत का सार

(ङ) शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) द्वारा शिकायत निस्तारण की तिथि

(च) अन्य विवरण

iii. नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के भेद-भाव से क्षुब्ध/असंतुष्ट कोई भी दिव्यांग व्यक्ति सम्बन्धित शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) द्वारा उक्त शिकायत की 02 माह के अंदर 02 जांच की जायेगी तथा उसके निष्कर्षों से शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

18. **<u>दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी</u>**

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, सक्षम प्राधिकारी होगा। राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य संबंधित श्रेणी की दिव्यांगता का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।

मेडिकल बोर्ड, समुचित जांच पड़ताल के पश्चात् स्थायी दिव्यांगता के ऐसे मामलों में स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जहाँ दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश न हो। मेडिकल बोर्ड, ऐसे मामलों में प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि इंगित करेगा जिनमें दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की गुंजाइश हो। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से तब तक इंकार नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को,उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाय। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस मामले में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है। नियोक्ता प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्ति पर आरम्भिक नियुक्ति के समय वह यह सुनिश्चित करे कि उम्मीदवार, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का पात्र है।

अतः सभी विभाग अपने नियंत्रणाधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों की जानकारी में उपर्युक्त अनुदेशों को लायेंगे।

<u>संलग्नक:-यथोक्त।</u>

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-10/2022/18/1/2008(1)/47/का-2/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
4. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. रजिस्ट्रार मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
11. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
12. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियॉ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
14. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
श्रीहरि प्रताप शाही
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।